न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :– महेश चन्द्र मान *आर. ए. एस.*

प्रा0 पत्र	तारीख रजू	तारीख निर्णय
3/08	31.05.2019	18.06.2019

उनवान

1. लक्ष्मी देवी पत्नी घनश्यामदास जाति सैन निवासी रामगढ तहसील रामगढ़

............................प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील रामगढ़ (अलवर)

.........................अप्रार्थी

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू0राज0 अधि0)

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र का विवरण संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नम्बर 684 रकबा 0.50 व 685 रकबा 0.45 हैक्ट0 कुल किता 2 रकबा 0.95 हैक्ट0 वाके ग्राम बेराबास तह0 रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी की पूर्व में दिनांक 16.05.19 को पटवारी हल्का ने पैमाईश कर निशानदेही कर दी और उस वक्त पत्थरगढी नही हुई थी। जिस पैमाईश व निशानदेही को पडौसी काश्तकार नही मानते है तथा अब भी प्रार्थी की आराजी पर नाजायज अतिक्रमण कर दबाया हुआ है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 684 रकबा 0.50 व 685 रकबा 0.45 हैक्ट0 कुल किता 2 रकबा 0.95 हैक्ट0 आराजी वाके ग्राम बेराबास तह0 रामगढ जिला अलवर की पत्थरगढी नियमानुसार कराये जाने के आदेश तहसीलदार रामगढ के नाम पारित किये जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी(पैरोकार सरकार) की ओर से न्यायालय में उपस्थित आये, परन्तु जवाब प्रस्तुत नही किया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मौका पर्चा दिनांक 16.05.2019 इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बेराबास आराजी खसरा नम्बर 684, 685 की पैमाईश जरीब चलाकर की गई, तथा प्रार्थी को सीमाज्ञान कराया गया। जिससे प्रार्थी सन्तुष्ट है। मौका पर्चा उपस्थित मौतवीरान के समक्ष पढकर सुनाया गया। तथा हस्ताक्षर कराये गये।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात साक्ष्य का अध्ययन
किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य नकल जमाबन्दी सम्वत 2075–78 एवं दिनांक
16.05.2019 का मौका पर्चा के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रार्थी के खसरा नम्बर 684, 685
वाके ग्राम बेराबास का सीमाज्ञान दिनांक 16.05.2019 को कराया जा चुका है। अतः प्रार्थी के
कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी की पत्थरगढी कराया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रामगढ़ को आदेशित किया
जाता है कि प्रार्थी के आराजी हाल खसरा नम्बर 684 रकबा 0.50 व 685 रकबा 0.45 हैक्ट0
कुल किता 2 रकबा 0.95 हैक्ट0 आराजी वाके ग्राम बेराबास की पत्थरगढी राजस्व अधिकारी एवं
पटवारीगणों की गठित टीम के साथ मौके पर पत्थरगढी कराना सुनिश्चित करे। तहसीलदार
रामगढ को अहकाम जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर
दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 18.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया
गया।

18.06.19

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

(महेश चन्द ...)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)